प्रारूप – 1

समितियो के पंजीयन हेतु ज्ञापन पत्र

(देखिये नियम – 3)

1. समिति का नाम :– एकलव्य जन कल्याण समिति अम्बिकापुर होगा।
2. समिति का कार्यालय :– एम.डी.एम. कम्प्यूटर इंस्टीट्यूट बाबूपारा अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर।
3. जिला :– सरगुजा (छ.ग.) में स्थित होगा।

समिति के **उद्देश्य निम्नलिखित होंगे :–**

1. शिक्षण संस्थाओ की स्थापना कर शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। छात्र–छात्राओं के मानसिक व बौद्धिक विकास हेतु विज्ञापन शिविरो तथा ज्ञानावर्धक प्रतियोगिताओ को आयोजन करनां
2. छात्र–छात्राओं को उच्च शिक्षा आधुनिक शिक्षा व्यवसायिक शिक्षा तकनीकी शिक्षा शारिरीक शिक्षा उपलब्ध कराना तथा स्कूल कॉलेज की स्थापना करना।
3. छात्र–छात्राओं को व्यवसायिक एवं औद्योगिक शिक्षण प्रशिक्षण उपलब्ध कराकर उन्हे स्वावलंबन हेतु जागरूक करना तथा व्यवसायिक एवं औद्योगिक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं का स्थापना व संसाधन करना।
4. समाज के गरीब पिछड़े, मध्यमवर्गीय अनुसूचितजाति / जनजाति के युवाओं विधवा एवं परित्यकता महिलाओ विकलांग आर्थिक रूप से कमजोर छात्र–छात्राओं को कम्प्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराना तथा कम्प्यूटर शिक्षा का प्रचार प्रसार कर कम्प्यूटर शिक्षण प्रशिक्षण केन्द्रो का संचालन करना।
5. स्वास्थ्य सुविधा, बाल विकास जनसंख्या नियंत्रण महिला विकास ग्रमीण विकास आदिवासी विकास जैसे जन कल्याणकारी कार्यक्रमों जो कि राज्य सरकार, केन्द्र सरकार द्वारा संचालित है कि कियान्वयन व संचालन में सहभागिता प्रदान करना।
6. केन्द्र शासन व राज्य शासन द्वारा प्रसारित जन कल्याणकारी योजनाओं के कियान्वयन व संचालन में सहभागिता प्रदान करना।
7. जल संरक्षण, पर्यावरण के संरक्षण व संवर्द्वन हेतु कार्य करना तथा वृक्षारोपण हेतु लोगों को जागरूक करना। उद्यानिकी एवं बागवानी को बढ़ावा देना।
8. वृद्धाश्रम, नारी निकेतन , किशोर व बालक – बालिका निराश्रित , विधवा आश्रम, हॉस्टल का सचालन कर विभिन्न विभागो द्वारा आंवटित योजनाओं का कियान्वयन व संचालन करना।
9. ग्रामीणो को सभी प्रकार के स्वरोजगार मूलक कार्या का प्रशिक्षण देना एवं उद्यमिता विकास संबंधी कार्यकमों का आयोजन करना ~~एवं उनके द्वारा उत्पादित सामग्री के लिए बाजार उपलब्ध कराना~~।

सत्य प्रतिलिपि

पंजीयन क्रमांक ......
पंजीयन दिनांक ......
संशोधन दिनांक ......
फाईलिंग का दिनांक ......
सहायक पंजीयक

4. समिति के प्रबंध विनिमयों द्वारा समिति के कार्यो का प्रबंध * शासक परिषद, संचालकों, सभा या शासी –निकाय को सौंपा गया है जिनके नाम, पते तथा उपजीविका का उल्लेख निम्नांकित है: –